न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
77/2015 प्रा.पत्र/2015	02.09.2015	20.04.2026
जीसीएमएस नं0 337/2015		

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स लोहिया ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक (राज0) केयर ऑफ राजू विजय आदर्श नगर मालपुरा जिला टोंक स्थायी पता वार्ड नं0 4 मेन मार्केट लावा तह0 मालपुरा जिला टोंक।
2–श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश प्रोपरायटर, मैसर्स जगदीश प्रसाद श्याम सुन्दर अग्रवाल, (कमीशन एजेन्ट केकडी) घण्टाघर के पास सदर बाजार केकड़ी जिला अजमेर।
3–श्री रौनक मून्दड़ा पुत्र श्री भगवान मून्दडा पार्टनर मैसर्स श्री राम ऑयल इण्डस्ट्रीज हट्टीपुरा जिला बून्दी राज0, निवासी मकान नं0 82, वार्ड नं0 25 खोजा गेट, गायत्री नगर जिला बून्दी राजस्थान।
4–श्री परेश मून्दडा पुत्र श्री रमेश चन्द मून्दडा पार्टनर मैसर्स श्री राम ऑयल इण्डस्ट्रीज हट्टीपुरा जिला बून्दी राज0, निवासी मकान नं0 82, वार्ड नं0 25 खोजा गेट, गायत्री नगर जिला बून्दी राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 20/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2015 को समय दोपहर 04:01 पी.एम.पर मैसर्स लोहिया ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मैसर्स लोहिया ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री प्रकाश चन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

घी विभिन्न ब्राण्ड व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक** 910–910 ग्राम के 16 नग (प्लास्टिक बोतल) दुकान की रैंक में वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को यह बताकर कि दुकान में 910–910 ग्राम के 16 नग (प्लास्टिक बोतल) **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक** में से 4 नग मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक** 910–910 ग्राम के 4 नग नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–935 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–935 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन मैसर्स लोहिया ट्रेडर्स सुभाष बाजार मालपुरा जिला टोंक (राज0) केयर ऑफ राजू विजय आदर्श नगर मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी कोई बिल मौके पर प्रस्तुत नहीं किया और बाद में मैसर्स जगदीश प्रसाद श्याम सुन्दर अग्रवाल, (कमीशन एजेन्ट केकडी) घण्टाघर के पास सदर बाजार केकड़ी जिला अजमेर का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स जगदीश प्रसाद श्याम सुन्दर अग्रवाल, (कमीशन एजेन्ट केकडी) घण्टाघर के पास सदर बाजार केकड़ी जिला अजमेर ने बतौर वारन्टी श्री राम ऑयल इण्डस्ट्रीज हट्टीपुरा जिला बून्दी राज0, निवासी मकान नं0 82, वार्ड नं0 25 खोजा गेट, गायत्री नगर जिला बून्दी का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1368 दिनांक 22.04.15 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0सु0मा0 प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल0एस0/196/एक्ट/2015/196 दिनांक 08.04.2015 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस की, बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी तोता मूल पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/4/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सीकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक